बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपना घर(ललित भवन के पीछे)
बेली रोड, पटना-800023, बिहार।

'मिशन वात्सल्य योजना' अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन

राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) अंतर्गत पटना, बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु केन्द्र प्रयोजित 'मिशन वात्सल्य योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानिक देख-भाल के अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैरसंस्थानिक देख-भाल के अंतर्गत दत्तकग्रहण प्रयोजन इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु SCPS द्वारा निम्नांकित संविदा आधारित पदों पर Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसकी विस्तृत जानकारी https://state.bihar.gov.in/socialwelfare पर उपलब्ध है।

क्र0	पदनाम	संख्या	कोटि	मूल वेतन	
1	कार्यक्रम प्रबंधक, SARA	1	UR	35,400	(मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA के समतुल्य राशि को जोड़कर भुगतेय होगा)
2	विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	4	SC-1, ST-1, EBC-2	21,700	
3	परामर्शी, DCPU	3	SC-1, ST-1, EBC-1	18,000	
4	डाटा एनालिस्ट	4	SC-3, EBC-1	18,000	
5	सामाजिक कार्यकर्ता	9	SC-1, SC(Female)-3, ST-1, EBC-1, EBC(Female)-1, BC-1, EWS-1	18,000	
6	परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी	13	SC-3, EBC-3, BC-2, EWS-2, UR-3,	18,000	
7	परामर्शी (गृह)	11	SC-2, EBC-2, BC-2, EWS-2, UR-3	18,000	
8	हाउसफादर/ हाउसमदर	12	SC-2, EBC-3, BC-3, EWS-1, UR-3	18,000	
9	फिजियोथेरेपिस्ट	1	UR	18,000	
10	पारा मेडिकल स्टॉफ	18	SC-5, EBC-4, BC-4, EWS-1, UR-3, UR(Female)-1	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप	
11	आउटरिच वर्कर	11	SC-2, SC(Female)-1, ST-1, EBC-2, EBC(Female)-1, BC-2, BC(Female)-1, EWS-1	12,000	5 % वार्षिक वृद्धि
		कुल-87			

2. आरक्षणः-राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जायेगा।
3. राज्य बाल संरक्षण समिति के प्रशासी समूह के निर्णय अनुसार उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु दिनांक-01.04.2023 को 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र आवेदन की अंतिम तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. **नियोजन अवधिः-** मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगें जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो पहले हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त किया जा सकता है।
5. **चयन प्रक्रियाः-** पदवार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंको के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत विवरणी https://state.bihar.gov.in/socialwelfare पर उपलब्ध होगा।
6. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. पदों के लिए आवश्यक योग्यता अनुभव, आरक्षण मासिक मानदेय एवं कार्य एवं भूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचना https://state.bihar.gov.in/socialwelfare वेब-साइट पर उपलब्ध है।
8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधी सभी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के अधीन है। राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

9. https://state.bihar.gov.in/socialwelfare पर नियोजन से संबंधी Link उपलब्ध है। Log-in करके अभ्यर्थी सर्वप्रथम Registration करेंगें। Registration की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी के ई-मेल पर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।
10. ऑनलाईन आवेदन **दिनांक-11.03.2024 से प्रारंभ होगा तथा आवेदन दिनांक-10.04.2024 के अपराह्न 11.59 बजे तक स्वीकार** होगें।
11. राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पूर्व में नियोजन किये गए पदों के रिक्त स्थानों पर नियोजन कर रही है। साथ ही नये स्वीकृत पद भी शामिल है। पूर्व की प्रतिक्षा सूची को समाप्त कर दिया गया है।
12. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
13. सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कोटियार रिक्ति का 15 गुणा प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को रखा जायेगा तथा पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अगले 03 वर्ष तक नियोजन किया जायेगा।
14. आवेदन केवल ऑन-लाईन स्वीकार किये जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।
15. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट-बढ़ सकती है। काउन्सिलंग से पूर्व विभिन्न इकाईयों में संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने की स्थिति में रिक्तियों को इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है।
16. EPF की राशि नियमानुसार कटौती की जाएगी।
17. नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार सचिव, समाज कल्याण-सह-अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति होंगें एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

04/03

(प्रशांत कुमार सी0एच0)
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

ज्ञापांकः- 225 पटना, दिनांकः- 05.03.2024

प्रतिलिपिः-

1. आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. श्री सुमन कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, राज्य बाल संरक्षण समिति को निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

04/03

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।